

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ 26(पेंशन) एम/आयो/आकाशि/पार्ट-II /94 /15/ दिनांक: 2.1.2013

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,

विषय :- पेंशन प्रकरणों समय पर तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने के संबंध में

संदर्भ :- अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्वाचक मंच जयपुर का पत्रांक 1055-70
दिनांक 14.11.2012

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पेंशन प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण बाबत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम)1996 के नियम 83 में पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में कार्मिकों का सेवानिवृत्त तिथि के न्यूनतम 6 माह पूर्व भिजवाया जाये, विभाग की जानकारी में लाया गया है सेवानिवृत्ति कार्मिकों को अधिकारियों की लापरवाही के कारण पेंशन में काफी विलम्ब हो रहा है जिसके कारण रिटायर्ड कर्मियों को परिवार के पालन पोषण हेतु अत्याधिक ब्याज पर कर्जा लेना पड रहा है तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों में अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न होरहा है। अतः आप निम्न प्रोफार्मा Excel sheet में तैयार कर jdplan.cce@rajasthan.gov.in ईमेल पर भी अविलम्ब पूर्ण विवरण निदेशालय को भिजवावें।

क्र सं	सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी का नाम	सेवा निवृत्त तिथि	पी.पी.ओ.जारी होने का दिनांक	पेंशन विलम्ब किन अधिकारी / कर्मचारी के कारण हुआ। (कारण सहित)

भवदीय


वित्तीय सलाहकार